भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3199**

दिनांक 22 मार्च, 2018 को उत्‍तर के लिए

**मोबाइल फोन में पैनिक बटन**

**3199. श्री डी॰ कुपेन्द्र रेड्डीः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मुसीबत में फंसी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु मोबाइल फोन में पैनिक बटन की उपलब्‍धता अनिवार्य बनाने के लिए मंत्रालय की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने इस संदर्भ में संचार मंत्रालय के साथ यह मामला उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

डॉ. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) से (घ) : भारत सरकार विपदाग्रस्‍त महिलाओं को सुरक्षा एवं आपातकालीन प्रत्युत्‍तर प्रदान करने के लिए सभी मोबाइल फोन पर पैनिक बटन के प्रावधान से संबंधित पहल पर पूरे जोश से काम कर रही है। इस संबंध में संचार मंत्रालय ने मोबाइल हैंड सेट में भौतिक पैनिक बटन लगाने को अनिवार्य करते हुए अधिसूचना दिनांक 22.04.2016 जारी की है। इसके अलावा यह अनिवार्य किया गया है कि 01 जनवरी 2018 से स्‍मार्ट फोन हैंड सेट का निर्माण करने वाली कोई भी कंपनी भारत में सेटलाइट आधारित जीपीएस के माध्‍यम से लोकेशन की पहचान करने की सुविधा रहित नया स्‍मार्ट मोबाइल फोन हैंड सेट नहीं बेचेगी। पैनिक बटन की सुविधा आपातकालीन स्‍थिति में सेटलाइट आधारित जीपीएस के माध्‍यम से लोकेशन की पहचान करते हुए निकटतम पीसीआर तथा चयनित परिवार/दोस्‍तों को सिग्‍नल भेजने में समर्थ होगी। इसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर 112 नंबर-आपातकालीन प्रत्‍युत्‍तर सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) से जोड़ा जाएगा। मोबाइल बटन का प्रयोक्‍ता परीक्षण उत्‍तर प्रदेश में होना है।

\*\*\*\*\*